स्वतंत्रता–परतंत्रता

प्रो. (डॉ.) सोहन राज तातेड़

पूर्व कुलपति, सिंघानिया विश्वविद्यालय, राजस्थान

स्वतंत्रता का अर्थ है अपनी इच्छानुसार प्रत्येक कार्य करना। परतंत्रता का अर्थ है दूसरों की इच्छा के अधीन रहना। स्वतंत्रता और परतंत्रता एक–दूसरे के विरोधी हैं। प्रजातंत्रात्मक भारत देश में सरकार का चुनाव पांच वर्ष के लिए जनता के द्वारा किया जाता है। यहां पर स्वतंत्र निर्वाचन प्रणाली है जनता अपनी इच्छानुसार जन प्रतिनिधि का चुनाव करती है। चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा बहुमत के आधार पर सरकार बनती है और शासन चलता है। स्वतंत्रता सबको प्रिय है। परतंत्र कोई नहीं रहना चाहता। पशु–पक्षी भी स्वतंत्रता प्रिय होते हैं। पक्षियों को पिंजरे में रखकर कितना भी स्वादिष्ट खाद्य उनको दिया जाये वे संतुष्ट नहीं होते। बंधन उन्हें भी कष्टप्रद लगता है। पशुओं को भी बंधन में रखकर कितना भी खिलाया–पिलाया जाये वे उतना स्वस्थ नहीं रहते जितना स्वतंत्र रहने वाले पशु। स्वतंत्रता में आनन्द और सुख है। परतंत्रता बंधन है।

मानव भी स्वतंत्रताप्रिय है। भारत में कई सदियों तक अंग्रेजों का शासन रहा। अंग्रेजों ने स्वच्छन्दतापूर्वक भारत को लूटा। धीरे–धीरे जब भारतीयों में चेतना जागृत हुई तो अंग्रेजों को देश से बाहर निकाला। अंग्रेजों के जाने के बाद भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। स्वतंत्र होने के बाद भारत का संविधान बना। संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो किसी भी भारतीय नागरिक को जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार हैं। संविधान मर्यादा का निर्माण करता है।

स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छन्दता नहीं है। हमें विचार की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता प्राप्त है। व्यक्ति को विचार प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। परिवार में जितने भी व्यक्ति हों उनको मर्यादा में रहकर स्वतंत्रतापूर्वक जीवन जीने का हक है। स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। भारत प्रजातंत्रात्मक देश है। सबकों

अपनी इच्छानुसार मतदान करने का अधिकार हैं। अपना अमूल्य मत देकर सरकार चुनने का भी अधिकार है। अनैतिक स्वतंत्रता स्वच्छन्दता है। अनियंत्रित स्वतंत्रता स्वच्छन्दता है। सामाजिक नियमों को तोड़कर स्वच्छन्दतापूर्वक जीवन यापन करना स्वतंत्रता का हनन है।

संविधान ने हमें अनेक स्वतंत्रता प्रदान की है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम किसी को गाली दें या अपशब्द कहें। यह भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि हम अपने धर्म का पालन करें और दूसरे धर्मों का अनादर करें। स्वतंत्रता का सकारात्मक अर्थ यह है कि हम वहीं तक स्वतंत्र हैं जहां तक कि दूसरों का अतिक्रमण नहीं होता। दूसरों को नुकसान करने का हमें कोई अधिकार नहीं है।

आज कुछ लोग स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छन्दता लगा रहे हैं। टी.वी. चैनलों पर सादगीपूर्ण विचार अभिव्यक्ति करने के स्थान पर वे एक–दूसरे के साथ गाली–गलौच करते हैं। जब उन्हें अपशब्दों के प्रयोग से रोका जाता है तो उनका उत्तर होता है कि प्रजातंत्र में भाषण की स्वतंत्रता है। तर्क, कुतर्क वितर्क के माध्यम से लोग स्वतंत्रता का अनुचित अर्थ निकालते हैं। इसे ही स्वच्छन्दता कहते हैं।

स्वच्छन्दता देश के लिए घातक है। सड़कों पर चलते समय हमें नियमों का पालन करना चाहिए। यातायात के नियमों की यदि अनदेखी की जाती है तो दुर्घटना होने की सम्भावना रहती है। चौराहों पर लालबत्ती लगी रहती है उसके निर्देशों के अनुसार ही हमें चलना चाहिए। यदि नियमों को तोड़ते हैं तो यह स्वच्छन्दता है। स्वतंत्रता और स्वच्छन्दता एक–दूसरे के विरोधी हैं। स्वतंत्रता शालीनता है और स्वच्छन्दता अश्लीलता। सभी प्राणियों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जैसे हमें स्वतंत्रता प्रिय है वैसे ही अन्य प्राणियों को भी। हर जगह का कानून अलग–अलग है।

जंगल का कानून शक्ति पर निर्भर करता है। वहां जो शक्तिशाली रहता है वहीं जीवित रहता है। कमजोर प्राणी शक्तिशाली जीवों के ग्रास बन जाते हैं। किन्तु मानव समाज में शक्ति को कोई अधिकार नहीं। शक्ति कानून से नियंत्रित होती है। जिसकी लाठी उसकी भैंस की कहावत स्वच्छन्दता को बढ़ावा देती है। यदि समाज में स्वच्छन्दता बढ़ेगी तो निश्चित ही

कानून का उल्लंघन होगा। कानून के उल्लंघन से समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को अनेक कष्ट सहने पड़ेंगे। जिस समाज में चोर, डाकू, लूटेरे अधिक हो जाते हैं। वहां जीवन जीना कठिन हो जाता है। इसलिए समाज में कानून का राज्य स्थापित होना चाहिए। कानून के द्वारा समाज में समरसता बनी रहती है।

समाज के सभी लोग भाईचारे की भावना से निवास करते हैं। यदि समाज में किसी भी प्रकार की विश्रृंखलता दिखलाई देती है तो यह समझना चाहिए कि यहां अराजकता है। सामूहिक जीवन जीने के लिए समरसता की आवश्यकता होती है। समरसता में सबके साथ समान व्यवहार किया जाता है न कोई छोटा होता है न कोई बड़ा। कानून की दृष्टि में भी न कोई छोटा है न कोई बड़ा। कानून सबको एक दृष्टि से देखता है।